

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
—0000—
//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/01/2022

क्रमांक एफ 17-04/2022/38-1 : कोविड-19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन, प्रदेश के राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में में शिक्षा सत्र 2021-22 में अध्यापन एवं अध्ययन तथा परीक्षाओं के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं :—

- विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए समस्त कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन पद्धति से सुनिश्चित किया जावे।
- शैक्षणिक/अशैक्षणिक अमले को एक-तिहाई रोस्टर पद्धति से उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जावे।
- रोस्टर ड्यूटी वाले दिवसों पर शैक्षणिक अमले द्वारा शिक्षण कार्य महाविद्यालय से एवं शेष दिवसों में निवास से ही ऑनलाईन अध्यापन कार्य महाविद्यालय के समय-सारिणी अनुसार नियत समय पर लिया जावे। इसी प्रकार महाविद्यालय के गैर-शैक्षणिक कार्य रोस्टर ड्यूटी अनुसार उपस्थित कर्मचारियों द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित होकर किया जायेगा किन्तु शेष समस्त कर्मचारी वर्क-फ्रॉम होम पद्धति से दूरभाष/ऑनलाईन प्रक्रिया से कार्यों में सहयोग करेंगे।
- शिक्षा सत्र 2021-22 के सेमेस्टर पद्धति वाले सभी पाठ्यक्रमों की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाईन/ब्लैन्डेड मोड में आयोजित की जावे। विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में उनकी कार्य परिषद के अनुमोदन से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जावे।
- किसी भी स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अवकाश स्वीकृति कराये बिना तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय का त्याग नहीं किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव

पृ.क्र.एफ 17-04/2022/38-1

नवा रायपुर अटल नगर,दि. 13/01/2022

प्रतिलिपि:-

01. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
 02. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 03. कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
 04. कुलपति, कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, काठाड़ीह, रायपुर,
 05. कुलपति, पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर,
 06. कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
 07. कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर,
 08. कुलपति, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अंबिकापुर,
 09. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, राजनांदगांव,
 10. कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग,
 11. समस्त निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति ।
 12. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर। कृपया संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
 13. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
 14. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
 15. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, मधुपिल्ले चौक, शांति नगर,
- रायपुर
16. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 17. समस्त कुलसचिव, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
 18. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 19. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,
- की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 उच्च शिक्षा विभाग